भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 2399#

मंगलवार, 16 मार्च, 2021/25 फाल्गुन, 1942 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

सरकारी अतिथि गृहों में सांसदों और विधायकों के लिए आवास

2399# श्री कैलाश सोनी:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि यदि सांसद अपने गृह राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य की यात्रा करते हैं तो उनके साथ भेदभाव किया जाता है क्योंकि सरकारी अतिथि गृह में स्थानीय विधायक और सांसद के लिए रात्रि-विश्राम का शुल्क 150 रुपए है जबकि अन्य राज्य से आने वाले सांसद के लिए यह 2000 रुपए है और ऐसा पक्षपात इस तथ्य के बावजूद है कि कानून के सामने सभी जन प्रतिनिधियों के साथ एक-समान व्यवहार किया जाना चाहिए; और

(ख) क्या सरकार इस संबंध में कोई विचार कर रही है?

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) और (ख): पर्यटन मंत्रालय सरकारी अतिथि गृहों में संसद सदस्यों तथा विधानसभा के सदस्यों के लिए रात्रि विश्राम/आवंटन से संबद्ध शुल्क से संबंधित कार्य की देखरेख नहीं करता है।

*****